पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 350

थाना कांड संख्या-14 वर्ष-2018 थाना-एनआईए जिला-पटना से उद्भूत

==========

दिलीप सहनी उर्फ नितेशजी, पिता- स्वर्गीय शिवनंदन सहनी, निवासी- ग्राम- काजीपुर थाथन, थाना- हाजीपुर सदर, जिला- वैशाली

... ... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी पटना के माध्यम से भारत संघ

2. बिहार राज्य

... ... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री वसंत विकास, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह (ए.एस.जी.)

श्री मनोम कुमार सिंह, विशेष पी.पी. (एन.आई.ए.)

श्री अंकित कुमार सिंह, अधिवक्ता

श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, ए.एस.जी. के ए.सी.

==========

राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008--- धारा 19, 21(4)*--- शस्त्र अधिनियम--- धारा 25(1बी)(ए), 25(1ए), 25(1एए), 25(1एएए), 26(2), 35--- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम--- धारा 3, 4--- विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1967--- धारा 16, 17, 18, 20, 22, 23, 43(डी)(5)--- दंड प्रक्रिया संहिता--- धारा 164--- विद्वान विशेष न्यायाधीश, एनआईए, पटना द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया--- अपीलकर्ता के खिलाफ नक्सली और माओवादी गतिविधियों में शामिल*

होने का आरोप है--- अपीलकर्ता की ओर से तर्क कि सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के अनुसार, अपीलकर्ता के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है, हालांकि मुकदमा शुरू हो चुका है, 123 गवाहों में से, आज तक केवल 42 गवाहों की जांच की गई है और वह 6 साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है।

निर्णय: केस डायरी और जांच दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता कथित गतिविधियों में शामिल है और इसलिए यूए(पी) अधिनियम की धारा 43(डी)(5) में निहित प्रावधान लागू होते हैं और अपीलकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है---साथ ही वर्तमान अपीलकर्ता के पांच आपराधिक पूर्ववृत्त हैं---अपील खारिज की जाती है। (पैरा 1, 4, 6, 14-16)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

दिनांक: 25-07-2024

वर्तमान अपील राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (इसके बाद, एन.आई.ए. अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 21 (4) के तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए., पटना द्वारा विशेष मामला संख्या 03/2018 (मुजफ्फरपुर सदर थाना कांड सं. 166/2018 के आधार पर पंजीकृत एन.आई.ए. केस संख्या आरसी-14/2018/एनआईए/डीएलआई दिनांक 14.04.2018 से उत्पन्न) में पारित दिनांक 19.02.2024 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए. ने अपीलकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

2. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वसंत विकास और प्रतिवादी की ओर से

विद्वान ए.एस.जी. डॉ. के.एन. सिंह को सुना गया, जिनकी सहायता के लिए श्री मनोज कुमार सिंह, श्री अंकित कुमार सिंह और श्री शिवादित्य धारी सिन्हा उपस्थित थे।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि, आक्षेपित आदेश के माध्यम से, विद्वान विशेष न्यायाधीश, एनआईए, पटना ने विशेष मामला संख्या 03/2018 (एन.आई.ए केस संख्या आरसी-14/2018/एनआईए/डीएलआई दिनांक 14.04.2018 से उत्पन्न) के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा की गई जमानत की प्रार्थना को खारिज कर दिया है, जो शस्त्र अधिनियम की धाराओं 25(1बी)(ए), 25(1ए), 25(1एए), 25(1एएए), 26(2) और 35, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3 और 4 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (इसके बाद यूए(पी) अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धाराओं 16, 17, 18, 20, 22 और 23 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत है।

4. यह प्रस्तुत किया गया है कि, अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के मुजफ्फरपुर-वैशाली सब-जोनल कमेटी का कमांडर अनिल राम मनोरंजन सिंह के घर में किरायेदार के रूप में रह रहा था। उक्त सूचना के आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स, बिहार द्वारा दिनांक 17/18.03.2018 को उक्त घर पर छापेमारी कर अनिल राम, दिलीप कुमार एवं सुनील कुमार राम को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आरोप है कि उक्त परिसर से एक देशी लोडेड कार्बाइन, जिंदा कारतूस, पांच डेटोनेटर, दो मोटरसाइकिल, ₹8,93,300/- नकद, नक्सली साहित्य और वाहन, संपत्ति आदि के कई अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। इस स्तर पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि, उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद, गिरफ्तार अभियुक्तों के इकबालिया बयान के आधार पर, वर्तमान अपीलकर्ता को फंसाया गया है। उक्त इकबालिया बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद, 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 164 के तहत विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि, सह-अभियुक्त के उक्त इकबालिया बयान को छोड़कर, वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 04.07.2018 को अपीलकर्ता के घर पर तलाशी ली गई थी और आरोप है कि उक्त तलाशी के दौरान, विभिन्न निवेश के कागजात, दस्तावेज और तीन संपत्तियों के बिक्री विलेख के साथ-साथ 46,000/- ₹ नकद बरामद किए गए थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता के परिसर से कोई हथियार या गोला-बारूद बरामद नहीं हुआ।

6. इसके बाद अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता 20 जून, 2018 से हिरासत में है और हालांकि मुकदमा शुरू हो चुका है, 123 गवाहों में से, आज तक केवल 42 गवाहों की परीक्षण की गई है और इसलिए, निकट भविष्य में मुकदमा समाप्त नहीं होगा। इस स्तर पर विद्वान अधिवक्ता ने एन.आई.ए. अधिनियम, 2008 की धारा 19 में निहित प्रावधानों का हवाला दिया है और प्रस्तुत किया है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का परीक्षण दिन-प्रतिदिन के आधार पर किया जाना आवश्यक है। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।

7. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति अपील (सीआरएल) संख्या 2319/2024 में पारित हाल ही के 08.07.2024 के आदेश पर भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, उक्त मामले में, मुकदमे की कार्यवाही में देरी के आधार पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया है।

8. दूसरी ओर, प्रतिवादी एन.आई.ए. के विद्वान ए.एस.जी. ने वर्तमान अपील का विरोध किया है। विद्वान ए.एस.जी. ने शुरू में कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जिससे *प्रथम दृष्टया* यह कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता कथित गतिविधियों में शामिल रहा है और इसलिए यूए(पी) अधिनियम की धारा 43(डी)(5) में निहित प्रावधानों के अनुसार, अपीलकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

9. विद्वान ए.एस.जी. ने प्रतिवादी-एन.आई.ए. की ओर से दायर जवाबी हलफनामे का संदर्भ दिया है और उसके बाद तर्क दिया है कि वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप-पत्र के कागजात में पर्याप्त सबूत हैं। यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि अपीलकर्ता का नाम एफ.आई.आर. में नहीं है, फिर भी सह-अभियुक्त द्वारा संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज इकबालिया बयान के आधार पर अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि संरक्षित गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए थे और उक्त गवाह ने भी सह-अभियुक्तों अनिल राम, मुसाफिर साहनी, कमलेश भगत और संजय राम उर्फ अभय द्वारा संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में बताए गए तथ्यों का समर्थन किया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि संरक्षित गवाहों ने यह भी कहा है कि वर्तमान अपीलकर्ता ने सीपीआई (माओवादी) को फंडिंग करने के बहाने कई मौकों पर उनसे धन उगाही की है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अनिल राम के किराए के फ्लैट पर भी तलाशी ली गई और उक्त तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई और उसे जब्त कर लिया गया। सह-

अभियुक्तों ने संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में आगे कहा है कि अपीलकर्ता विघटनकारी गतिविधियों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को धन और हथियार उपलब्ध कराता था और वास्तव में, संरक्षित गवाहों ने भी कहा है कि अपीलकर्ता ने प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए धन जुटाने के इरादे से वैशाली-मुजफ्फरपुर क्षेत्र में सड़क निर्माण कर रहे ईंट-भट्ठा मालिकों और निर्माण कंपनियों से लेवी के रूप में धन वसूला है।

10. इसके बाद विद्वान ए.एस.जी. ने दलील दिया कि जब अपीलकर्ता के घर की तलाशी ली गई, तो विभिन्न निवेश पत्र और दस्तावेज बरामद हुए, जिनमें तीन संपत्तियों की बिक्री-विलेख शामिल है। अपीलकर्ता के घर से कुछ अन्य निवेश संबंधी दस्तावेज भी मिले हैं। अपीलकर्ता के घर से आपत्तिजनक सामग्री वाला एक हस्तलिखित लेख भी बरामद किया गया था। इसलिए, विद्वान ए.एस.जी. ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं।

11. इसके बाद विद्वान ए.एस.जी. ने प्रस्तुत किया कि दो अन्य सह-अभियुक्तों, अर्थात् संजय राम और दिलीप राम ने क्रमशः अलग-अलग आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 434/2020 और 438/2020 और आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 438/2020 दायर की। इस न्यायालय ने दिनांक 21.12.2022 और 10.07.2024 के आदेश के माध्यम से सह-अभियुक्तों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया है। इसलिए, विद्वान ए.एस.जी. ने आग्रह किया कि यह न्यायालय वर्तमान अपील पर विचार न करे।

12. विद्वान ए.एस.जी. ने आगे प्रस्तुत किया है कि समन्वय पीठ ने दिनांक 10.07.2024 को आदेश पारित करते समय आदेश के पैरा-7 में मुकदमे में देरी के तथ्य पर विचार किया है और उसके बाद अपराध की गंभीरता पर विचार किया है और प्रतिवादी-एनआईए के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, सह-अभियुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है और इसलिए, जब अभियोजन पक्ष ने पहले ही 42 गवाहों की जांच कर ली है, तो उपरोक्त आदेश के पैरा-7 और 8 में की गई टिप्पणियों के मद्देनजर, यह न्यायालय वर्तमान अपील पर विचार नहीं कर सकता है।

13. विद्वान ए.एस.जी. ने इस स्तर पर अपील ज्ञापन के पैरा 3 से बताया कि अपीलकर्ता का आपराधिक इतिहास हैं और उसके खिलाफ पांच एफआईआर दर्ज हैं। अतः इस आधार पर भी अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

14. हमने विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है तथा हमने प्रतिवादी द्वारा दायर जवाबी हलफनामे सहित रिकार्ड में रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया है। हमने केस डायरी और आरोप पत्र के कागजातों का भी अवलोकन किया है, जिसमें सह-अभियुक्तों द्वारा संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज इकबालिया बयान और संरक्षित गवाहों के बयान भी शामिल हैं। उपरोक्त सामग्री से यह पता चलता है कि अपीलकर्ता का नाम एफ.आई.आर. में नहीं है। हालांकि, जांच के दौरान, जब तीनों सह-अभियुक्तों के बयान को संहिता की धारा 164 के तहत विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया गया, तो यह पता नहीं चला कि वर्तमान अपीलकर्ता भी संबंधित अपराध में शामिल है। सह-अभियुक्तों में से एक के किराए के घर से हथियार और गोला-बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। जब वर्तमान अपीलकर्ता के परिसर की तलाशी ली गई, तो प्रतिवादी-एजेंसी द्वारा कुछ दस्तावेज और निवेश के कागजात भी बरामद किए गए। संरक्षित गवाहों के बयान से भी *प्रथम दृष्टया* यह पता चला है कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि वह वैशाली-मुजफ्फरपुर क्षेत्र में सड़क निर्माण कर रहे ईंट-भट्ठा मालिकों और निर्माण कंपनियों से पैसे की उगाही कर रहा था। संरक्षित गवाहों के बयान से भी *प्रथम दृष्टया* यह पता चला है कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि वह वैशाली-मुजफ्फरपुर क्षेत्र में सड़क निर्माण कर रहे ईंट-भट्ठा मालिकों और निर्माण कंपनियों से पैसे की उगाही कर रहा था। सह-अभियुक्तों ने यह भी कहा है कि अपीलकर्ता सीपीआई (माओवादी) गतिविधियों के लिए धन मुहैया करा रहा था। इस प्रकार, केस डायरी और जांच के कागजात से, *प्रथम दृष्टया* यह कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता कथित गतिविधियों में शामिल है और इसलिए, **यूए(पी) अधिनियम** की धारा **43(डी)(5)** में निहित प्रावधान लागू होते हैं, जो इस प्रकार हैं:-

> "43(डी)(5). संहिता में कुछ भी निहित होते हुए भी, इस अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत दंडनीय अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति, यदि हिरासत में है, तो उसे जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो:
>
> बशर्ते कि ऐसे आरोपी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा यदि न्यायालय, केस डायरी या संहिता की धारा 173 के तहत बनाई गई रिपोर्ट के अवलोकन पर इस राय पर है

कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है।"

15. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, केस डायरी के साथ-साथ जांच पत्रों में अपीलकर्ता के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है। यह सच है कि अपीलकर्ता 20 जून, 2018 से हिरासत में है। हालाँकि, सह-अभियुक्त दिलीप राम द्वारा दायर इसी तरह की अपील पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने पैरा 7 और 8 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"**7.** यह प्रस्तुत किया गया है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध व्यापक सामग्री, कथित अपराधों की गंभीरता और अपराध से जुड़ी सजा की गंभीरता को देखते हुए, अपीलकर्ता जमानत के विशेषाधिकार का हकदार नहीं है। जहां तक मुकदमे में देरी का सवाल है, यह प्रस्तुत किया गया है कि मार्च, 2020 से वर्ष 2021 के अंत तक अभूतपूर्व महामारी के कारण पर्याप्त समय बर्बाद हो गया। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अब गवाहों की सूची तैयार कर ली गई है तथा केवल 102 गवाहों से पूछताछ की जानी है, जिनमें से 35 गवाहों से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय ने सुनवाई के लिए समय निर्धारित कर दिया है तथा हर महीने कम से कम चार से छह गवाहों से पूछताछ करने की योजना है, इसलिए बीच की छुट्टियों और अवकाशों सहित ट्रायल में एक वर्ष से थोड़ा अधिक समय लगने की संभावना है।

8. ऊपर उल्लिखित प्रस्तुतियों, आक्षेपित आदेश में चर्चा की गई सामग्री के प्रकार और पक्षों की प्रस्तुतियों तथा अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपित अपराधों की गंभीरता और एक वर्ष से थोड़े अधिक समय में मुकदमे के समापन की संभावना को ध्यान में रखते हुए, हम आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।"

16. इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता ने स्वयं अपील ज्ञापन के पैरा-3 में कहा है कि उसके खिलाफ पांच अन्य एफआईआर दर्ज हैं। इस प्रकार, वर्तमान अपीलकर्ता का आपराधिक इतिहास मौजूद है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील (सीआरएल) संख्या 2319/2024 में पारित दिनांक 08.07.2024 के आदेश का भी अवलोकन किया है और वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जिसमें अपीलकर्ता के पांच आपराधिक पूर्ववृत्त भी शामिल हैं, हम अपीलकर्ता द्वारा जमानत प्रदान करने

के लिए किए गए अनुरोध पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

17. तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

सचिन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।